छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 984/2008

1. श्री एच0एल0 पाण्डेय, – अपीलार्थी
कक्ष अधिकारी,
पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 30 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एच0एल0 पाण्डेय द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 12.06.2008 को जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 14.07.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु समयावधि में प्रथम अपील पर कार्यवाही नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी ने बताया कि अभी–तक विभाग से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में बीच में यह निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थी के आवेदन में बताये गये दो पदोन्नति से संबंधित अभ्यावेदनों पर जो भी कार्यवाही शासन ने की है और जो निर्णय लिया है, उससे अपीलार्थी को अवगत कराया जावे और संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे। अपीलार्थी ने बताया कि न तो संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण कराया गया और न ही जानकारी दी गई, अतः विलंब हेतु जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 26.06.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर में यह बताया गया कि दिनांक 21.04.2009 को अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करायी गई और बाद में रजिस्ट्री डाक से शेष जानकारी दिनांक 05.05.2009 को भेजी गई और साथ ही दिनांक 07.04.2009 को समस्त अभिलेखों का अवलोकन कराया गया। किन्तु अपीलार्थी का कहना था कि जिस रिकार्ड का निरीक्षण कराया गया, वह उनके आवेदन से संबंधित नहीं था और आवेदन में उन्होंने पदोन्नति के अभ्यावेदनों पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही गई थी। प्रकरण के रिकार्ड को देखने से स्पष्ट है कि जो जानकारी चाही गई है, वह नहीं दी गई है और न ही उसका निरीक्षण कराया गया है, अतः जन सूचना अधिकारी को इसके लिए दोषी पाया जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी पर एक हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी चूंकि प्रथम अपील पर सुनवाई नहीं की गई है, अतः उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई कर समयावधि में उनका निराकरण किया जावे। साथ ही प्रकरण में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को तीन सौ रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com